न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 17/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/90

अपीलाण्ट :–
मांगीलाल पुत्र हरजी जाति मेघवाल निवासी – कानलाव तसहील व जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–
1. खुमाराम पुत्र देवारामजी जाति मेघवाल निवासी – कानलाव तहसील व जिला पाली (राज.)
2. धन्नाराम पुत्र देवारामजी जाति मेघवाल निवासी – कानलाव तहसील व जिला पाली (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **07.07.2025**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1331 दिनांक 25.10.2023 के विरूद्ध पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित व रेस्पोडेण्ट्स को न्यायालय समय पर बार बार आवाजे लगाये जाने पर भी न्यायालय समय में वक्त बहस अनुपस्थित आये। रेस्पोडेण्ट्स बाद तामिल न्यायालय में बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर वक्त बहस अनुपस्थित आये। बहस एकपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील–मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम कानलाव पटवार हल्का बाला तहसील पाली में अपीलाण्ट के खातेदारी की काश्त व कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 213 रकबा 0.6556 हैक्टर (4 बीघा 1 बिस्वा), खसरा 213/1 रकबा 0.1619 हैक्टर (1 बीघा), खसरा नम्बर 308 रकबा 0.6880 हैक्टर (4 बीघा 5 बिस्वा) एवं खसरा नम्बर 314 रकबा 1.6187 हैक्टर (10 बीघा) कुल रकबा 3.1242 हैक्टर (19 बीघा 6 बिस्वा) स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 में अन्य सहखातेदार के संयुक्त खातेदारी की थी। संयुक्त खातेदारो के मध्य विभाजन किये जाने पर विभाजन का म्यूटेशन संख्या 1138 दिनांक 22/12/2017 स्वीकृत किया जाकर उपरोक्त वादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट के हिस्से में रखी गई थी एवं सहखातेदार देवाराम के हिस्से में खसरा नम्बर 213/4, 213/1, 308 एवं 314/3 रकबा 19 बीघा 6 बिस्वा 3.1242 हैक्टर की भूमि विभाजन मे रही थी। उक्त वादग्रस्त भूमि को आज दिनांक तक देवाराम अथवा अन्य किसी भी सख्स, संस्था को भूमि न तो विक्रय की है, न ही बक्शीश अथवा रहन की है, न ही अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित की है। उपरोक्त भूमि को विक्रय, बक्शीश करने हेतु अपीलाण्ट ने किसी भी व्यक्ति को मुख्तियार भी नियुक्त नहीं किया है। उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के अपीलाण्ट ही एकमात्र काबिज है तथा काश्त कर रहा है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के पिता देवाराम पुत्र नवलारामजी ने उनकी

जिला कलेक्टर, पाली

अन्य खातेदारी भूमि के साथ–साथ उपरोक्त भूमि को भी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के पक्ष में बक्शीशनामा दिनांक 22.06.2023 को निष्पादित कर उपपंजीयक (प्रथम) पाली से पंजीबद्ध करवा कर बक्शीश कर दी है। उक्त वादग्रस्त भूमि को बक्शीश दस्तावेज द्वारा अपीलाण्ट के खातेदारी भूमि को रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के नाम नामान्तरकरण संख्या 1331 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे दर्ज किया गया है। जो बक्शीश दस्तावेज अपीलाण्ट के वादग्रस्त भूमि के खातेदारी हक, हकूक, अधिकारो के विरूद्ध अवैध, शून्य एवं बेअसर है क्योंकि अपीलाण्ट की खातेदारी की उपरोक्त भूमि को देवा उर्फ देवाराम पुत्र नवला उर्फ नवलाराम जो कि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के पिता है, को उक्त रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 को बक्शीश दस्तावेज से बक्शीश करने का विधिक रूप से कोई हक अधिकार नही है क्योंकि उपरोक्त भूमि देवा उर्फ देवाराम पुत्र नवला उर्फ नवलाराम के खातेदारी की नहीं होकर अपीलाण्ट के खातेदारी की है तथा अपीलाण्ट ने उक्त देवा को कभी भी वादग्रस्त भूमि को विक्रय हस्तान्तरण बक्शीश हेतु मुख्तियार नियुक्त नहीं किया है, न ही किसी प्रकार के अधिकार दिये है। रेस्पोडेण्ट के पिता देवा उर्फ देवाराम की मृत्यु दिनांक 21.09.2023 को हो चुकी है। देवाराम तथा अपीलाण्ट के पिता हरजी तथा पूनारामजी तीनो सगे भाई थे एवं नवलाजी के पुत्र थे। पूर्व में खसरा नम्बर 213 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 302 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 308 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 313 रकबा 6 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 314 रकबा 30 बीघा 17 बिस्वा अपीलाण्ट, देवाराम एव ढलाराम व मानाराम पुत्र पुनारामजी के संयुक्त खातेदारी की थी। जिसमें अपीलाण्ट का 1/3 हिस्सा, देवाराम का 1/3 हिस्सा तथा ढलाराम व मानाराम का 1/3 हिस्सा था। उपरोक्तानुसार आपसी सहमति से विभाजन किये जाने पर अलग–अलग विभाजित हुई तथा उक्त वादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट के हिस्से में रही है। इस संबंध में अपीलाण्ट की ओर से उक्त बक्शीशनामा को निरस्त व शून्य घोषित करने हेतु सिविल न्यायालय पाली में वाद संख्या 70/2024 पेश किया था। जिससे रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 ने स्वेच्छा से राजीनामा पेश किया एवं उपरोक्त बक्शीशनामा में वर्णित अपीलाण्ट की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 213 रकबा 0.6556 हैक्टर (4 बीघा 1 बिस्वा), खसरा 213/1 रकबा 0.1619 हैक्टर (1 बीघा), खसरा नम्बर 308 रकबा 0.6880 हैक्टर (4 बीघा 5 बिस्वा) एवं खसरा नम्बर 314 रकबा 1.6187 हैक्टर (10 बीघा) कुल रकबा 3.1242 हैक्टर (19 बीघा 6 बिस्वा) के हक तक बक्शीशनामा को शून्य व निरस्त घोषित किया गया । उक्त वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण बिना किसी आदेश, दस्तावेज, अधिकार के अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि को रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के पिता देवाराम के नाम दर्ज कर दी गई और उसके आधार पर देवाराम ने अपने पुत्रो रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के नाम उपर्युक्तानुसार बक्शीशनामा निष्पादन कर पंजीयन करवा दिया और उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के नाम जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया जो शून्य व अवैध है जिसे सिविल न्यायालय ने निर्ण व डिक्री द्वारा निरस्त व शून्य घोषित कर दिया है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण विधि विरूद्ध, कूटरचित एवं फर्जी होने से सव्यय खारिज फरमावे।

जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाण्ट्स द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

प्रकरण में एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन करने पर पाया कि प्रकरण में अपीलाण्ट का प्रमुख उज्र यह है कि ग्राम कानलाव पटवार हल्का बाला तहसील पाली में संयुक्त खातेदार जिसमें

अपीलाण्ट का 1/3 हिस्सा, देवाराम का 1/3 हिस्सा तथा ढलाराम व मानाराम का 1/3 हिस्सा था जिसमें अपीलाण्ट के खातेदारी की काश्त व कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 213 रकबा 0.6556 हैक्टेयर (4 बीघा 1 बिस्वा), खसरा संख्या 213/1 रकबा 0.1619 हैक्टेयर (1 बीघा), खसरा संख्या 308 रकबा 0.6880 हैक्टेयर (4 बीघा 5 बिस्वा) एवं खसरा संख्या 314 रकबा 1.6187 हैक्टेयर (10 बीघा) कुल रकबा 3.1242 हैक्टेयर (19 बीघा 6 बिस्वा) आपसी सहमति से विभाजन किये जाने पर अपीलाण्ट के हिस्से में आई। उसके पश्चात् बिना किसी वैद्य दस्तावेज के अपीलाण्ट के हिस्से में आई भूमि स्वतः ही रेस्पो. संख्या 01 व 02 के पिता खुमाराम के दर्ज हो गई तदनन्तर रेस्पो. संख्या 01 व 02 के पिता खुमाराम ने अपने जीवनकाल में उक्त विवादग्रस्त भूमि अपने पुत्रों रेस्पो. संख्या 01 व 02 के नाम पंजीकृत बक्शीश दिनांक 22.06.2023 कर दी, जिसके परिणामस्वरूप विवादित भूमि का रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 के नाम उक्त खसरान् का नामान्तरकरण संख्या 1331 दिनांक 25.10.2023 दर्ज हो गया जबकि अपीलाण्ट द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को आज दिनांक तक न तो किसी संस्था या न किसी व्यक्ति को बेचान, बक्शीश अथवा रहन की है। जब अपीलाण्ट को इस संबंध में जानकारी हुई तो अपीलाण्ट द्वारा उक्त बख्शीश को खारिज करवाने के लिए एक वाद माननीय सिविल न्यायालय, पाली के यहां दर्ज करवाया जिसमें रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 ने स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जिसके परिणास्वरूप उक्त वाद स्वीकार कर वादग्रस्त खसरा संख्या 221, खसरा संख्या 213, खसरा संख्या 213/1, खसरा संख्या 308 व खसरा संख्या 314 बाबत् बक्शीशनामा को वादी मांगीलाल की हद तक शून्य व निरस्त घोषित किया गया एवं जब जैर नामान्तरकरण उक्त बक्शीश के आधार पर ही स्वीकृत हुआ है तो अब जैर नामान्तरकरण को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

समायतशुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में मौलिक रूप से जैर नामान्तरकरण रेस्पो. संख्या 01 व 02 के नाम उनके पिता द्वारा की गई बक्शीश दिनांक 22.06.2023 के आधार पर स्वीकृत हुआ है। वर्तमान में जब उक्त बक्शीश को माननीय सिविल न्यायालय, पाली द्वारा शून्य व निरस्त घोषित कर दिया है व रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 स्वयं द्वारा माननीय सिविल न्यायालय, पाली में एक राजीनामा प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने खुद ने उक्त विवादग्रस्त भूमि त्रुटिवश अपने पिता के नाम दर्ज हो जाना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में उभयपक्ष की स्वीकारोक्ति एवं जिस आधार से जैर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया था, वह माननीय सिविल न्यायालय, पाली द्वारा निरस्त कर दिया गया है तो अब जैर नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1331 दिनांक 25.10.2023 अपास्त किया जाकर तहसीलदार पाली को राजस्व रेकर्ड की पूर्व स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक **07.07.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एम. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली